भारत सरकार
मानव संसाधन विकास मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 1175
उत्तर देने की तारीख : 23 मार्च, 2012

शिक्षकों के संशोधित वेतनमानों के लिए भुगतान की गई धनराशि की प्रतिपूर्ति

1175. **श्री रामदास अग्रवालः**

क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान सरकार ने राज्य में शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशकों (पीटीआई) और पुस्तकालयाध्यक्षों सहित विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों के लिए संशोधित वेतनमानों के भुगतान के संबंध में मंत्रालय की सभी सिफारिशों को कार्यान्वित कर दिया था जिससे राज्य पर 499 करोड़ रुपये से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ा;

(ख) क्या 499 करोड़ रुपये में से 399 करोड़ रुपये से भी अधिक धनराशि की केन्द्र सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की जानी अपेक्षित है;

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस धनराशि की प्रतिपूर्ति कब तक कर दी जाएगी; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर
मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डा. डी. पुरंदेश्वरी)

(क) से (घ): सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और उनके अंतर्गत आने वाले कॉलेजों तथा मानित विश्वविद्यालय संस्थानों जिनका अनुरक्षण व्यय यूजीसी द्वारा वहन किया जाता है, में शिक्षकों एवं समकक्ष संवर्गों के वेतन संशोधन की एक स्कीम, केन्द्र सरकार द्वारा दिनांक 31.12.2008 को अधिसूचित की गई है। योजना का ब्यौरा http://www.ugc.ac.in/notices/scpteachers.pdf पर देखा जा सकता है। यह स्कीम अनिवार्यत: केन्द्रीय शैक्षिक संस्थानों में शिक्षकों के लिए है लेकिन इसे राज्य सरकार की परिधि के अंतर्गत आने वाले विश्वविद्यालयों, कॉलेजों एवं अन्य उच्चतर शैक्षिक संस्थाओं तक विस्तारित किया जा सकता है यदि राज्य सरकार, सेवानिवृत्ति आयु को 65 वर्ष तक बढ़ाने को अपनाने सहित इसे एक संयुक्त योजना के रूप में अपनाए और कार्यान्वित करे। भारत सरकार ने राज्य सरकारों को यूजीसी वेतनमानों के बकायों की प्रतिपूर्ति का 80% दावा करने का प्रस्ताव किया है यदि वे इस योजना को सेवानिवृत्ति की आयु को बढ़ाने सहित एक पैकेज के रूप में अपनाती हैं।

इस संबंध में राजस्थान सरकार ने 399.50 करोड़ रू. अर्थात् 499,38 करोड़ रू. के कुल व्यय के 80% की वित्तीय सहायता की प्रतिपूर्ति का अनुरोध किया है। तथापि, राजस्थान सरकार ने 65 वर्ष की बढ़ी हुई सेवानिवृत्ति की आयु को नहीं अपनाया है, जिसके कारण, केन्द्र सरकार द्वारा व्यय के 80% की प्रतिपूर्ति नहीं की गई है।

***